

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-11
संख्या- 193/1-11-2017-पि0न0-4/2006
लखनऊ : दिनांक :: 11 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के अधीन प्रचलित क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप योजना मोबाइल फोन सुविधा के अन्तर्गत भारत संचार निगम लि0 को 01.03.2017 से 31.03.2017 तक एक माह हेतु रु0 9,39,338/- (नौ लाख उन्तालीस हजार तीन सौ अडतीस मात्र) की धनराशि भारत संचार निगम लि0 के एकाउन्ट नम्बर-1022339053 में उल्लिखित विवरण के अनुसार भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	बिल/दिनांक	धनराशि
1	01.03.2017 से 31.03.2017	9,39,338/-

कुल योग- 9,39,338/-

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(अरविन्द कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 193 (1)/1-11-17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी राहत आयुक्त संगठन, उत्तर प्रदेश को 03 प्रतियों सहित इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. समीक्षा अधिकारी, लेखा/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10
6. लेखाधिकारी (टी0आर0-एनडीआईआर) भारत संचार निगम लि0, गाँधी भवन लखनऊ।
7. महाप्रबन्धक (मोबाइल) बी0एस0एन0एल0, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

03.5.17